संख्या ९१८ / XIII(II) / 01(36) / 2002 / टी.सी.III

प्रेषक,

डा. राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम,
हल्दी, पंतनगर।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : ०६ नवम्बर, 2018

विषयः–उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में बीज उत्पादक किसानों के अवशेष भुगतान एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से सॉफ्ट ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को बीज उत्पादक किसानों के अवशेष भुगतान एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 700लाख (₹ सात करोड़ मात्र) की धनराशि 'राज्य आकस्मिकता निधि' से अग्रिम के रूप में आहरित कर सॉफ्ट ऋण के रूप में स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को उक्त धनराशि की स्वीकृति अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में मात्र एक बार हेतु प्रदान की जा रही है।
2. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा आहरित की जायेगी तथा चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. इस संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 तथा उत्तराखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली–2001 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों में करा दी जायेगी।
5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जाएगा।
6. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से 04(चार) प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा तथा उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा अपनी आन्तरिक स्थिति में सुधार करते हुए, अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर उक्त ऋण की वापसी रू 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से दी जानी सुनिश्चित की जायेगी।
7. सॉफ्ट ऋण के भुगतान की जिम्मेदारी एवं अन्य सभी दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि. के होंगे।
8. टी.डी.सी. अपने पुनरूत्थान हेतु वृहत प्लान तैयार करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कोई सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000–आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि" के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–17 के लेखा शीर्षक

2

"6401–फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज–00–109–वाणिज्यिक फसलें–12– बीज एवं तराई विकास निगम लि. को कृषि निवेश के लिये कर्ज–00–30–निवेश / ऋण " के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 122 / XXVII(4) / 2018 दिनांकः 06 नवम्बर, 2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा. राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

संख्या : 22 / XVII(i) / रा.आ.नि. / 2018 तद्दिनांकित 05 नवम्बर,2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(सविन बंसल)
अपर सचिव, वित्त

संख्या ११६ / XIII(II) / 01(36) / 2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम, हल्दी, पंतनगर।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1,4, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी.एस. बोरा)
उप सचिव